न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 121/2017/डिक्री

1. धुलिया पिता गागला मीणा
2. मालकी उर्फ कालकी बेवा गागला मीणा
   दोनो निवासी आड हगात फला तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़
3. खानकी पिता गागला पत्नि नारायण मीणा
   निवासी हाल धनेरा तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. भुलकी पत्नि भेरिया मीणा
   निवासी आड हगात फला तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़
2. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार धरियावद जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, धरियावद
दिनांक 23.05.2017 प्रकरण सं. 35/2005

उपस्थित – 1. श्री ललित झंवर – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री बंसतीलाल पोखरना – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1

निर्णय दिनांक– 16.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के खिलाफ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक दावा बाबत बंटवाडा आराजीयात का पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07/05/2012 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया जिसकी अपील अलग से पेश की गयी है। उक्त डिक्री के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण मे अंतिम डिक्री दिनांक 23/05/2017 को पारित की उस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री भी जैर अपील है। पक्षकारान का चूंकि वादिया का विवादित आराजीयात पर खरीद के बाद कब्जा किसी भी प्रकार से नही रहा है व आज भी नही है। वादिया ने अंतिम डिक्री के लिये न तो आवेदन दिया न हमे

सूचना दी एवं न ही बंटवाडे हेतु राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 18, 19, 20 मे बने नियमो की कोई पालना की व न ही स्टाम्प ड्युटी पेश की व कैम्प मे इस प्रकार अंतिम डिक्री पारित होने योग्य ही नही है। कमिश्नर तहसीलदार धरियावद द्वारा दिनांक 02/09/2016 को विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव अपूर्ण भ्रामक एवं अस्वीकार्य एवं कानून सम्मत न मान निरस्त कर दिया उसके और न ही हम अपीलान्टस को कोई सूचना ही दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री मे वादिया के विक्रय पत्र को नुमाईशी माना है एवं विवादित आराजीयात पर प्रतिवादीगणो द्वारा ही खेती करना माना है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जो तहसीलदार कार्यालय से दिनांक 02/09/2016 को प्राप्त हुआ जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 46 पर उपलब्ध है। इस प्रस्ताव को उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारीज कर दिया गया है क्योकि यह विधिसम्मत नही माना गया तथा मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर पुनः प्रस्ताव मंगाया गया। उसके पश्चात् पत्रावली मे कोई कार्यवाही नही हुई तथा उक्त विभाजन के आधार पर ही अंतिम डिक्री जारी कर दी गई जो विधिसम्मत नही है। इसके अतिरिक्त न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा दिनांक 13/07/2017 को स्थगन जारी कर देने के पश्चात् निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप है जिस पर किसी की आपत्ति प्राप्त नही हुई है। दोनो पक्षो को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ के स्थगन आदेश से पूर्व ही अंतिम डिक्री की क्रियान्विति हो चुकी है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। यह तथ्य निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय मे वाद के लम्बित रहते प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु हो चुकी है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री मृतक के विरूद्ध पारित की गई है जो विधिसम्मत नही होने के

कारण एक अन्य अपील सं. 123/2017/डिक्री निर्णय द्वारा दिनांक 16/01/2018 के माध्यम से इस प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया गया है। ऐसी सूरत मे जब प्राथमिक ही डिक्री ही खारीज हो चुकी है। ऐसी सूरत मे अंतिम डिक्री भी खारीज किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धरियावद द्वारा प्रकरण संख्या 35/2005 मे पारित अंतिम डिक्री भी अपास्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि नये परिप्रेक्ष्य मे गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़